न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ ।
पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या – 70/2016
वादीगण :–

1 मुल्तानराम पुत्र श्री सांवताराम
जाति विश्नोई निवासी एकलखोरी
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

प्रतिवादीगण :–

1 बिडदाराम पुत्र श्री पन्नाराम
2 बिरबलराम पुत्र श्री पन्नाराम
3 बलवन्ताराम पुत्र श्री पन्नाराम
4 रामनिवास पुत्र श्री लाखाराम
5 संग्राम पुत्र श्री सांताराम
6 रामसुख पुत्र श्री सांवताराम
7 चूनाराम पुत्र श्री सांवताराम
जाति विश्नोई निवासी एकलखोरी
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।
8 श्री तहसीलदार औसिया ।

उपस्थिति –
1 श्री पेंपसिंह भाटी, अधिवक्ता वादी की ओर से ।
2 श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188, आर.टी.एक्ट. 1955

– निर्णय – दिंनाक – 12/3/22

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के राजस्व ग्राम झरीया के खसरा नम्बर 106 रकबा 5 बीघा , खसरा नम्बर 169 रकबा 31 बीघा 15 बीस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 61 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 98 बीघा 7 बीस्वा भूमि आई हुई है जिसमे वादी का 1/2 हिस्से मे से 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण मे 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का 1/2 हिस्सा मे से 3/4 हिस्सा यानि 3/8 हिस्सा है । वादी उक्त प्रत्येक खसरान की भूमि मे 1/8 हिस्से पर अन्दाजीया तौर पर शान्ती पूर्वक कास्त करते आ रहे है मेरे हक हिस्से की भूमि मे रहवासी ढूणी, ठाका बाडा इत्यादि बने हुए है उक्त भूमि मे प्रत्येक खसरे मे वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा एंव प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का 3/8 हिस्सा है । वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की अविभाजित भूमि है जिसमे वादी अपना 1/8 हिस्सा घोषित करवा कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाना चाहता है । वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड व मौके पर माप एवं सीमांकन कर विभाजन किया हुआ नही है न ही आपसी बन्टवारा किया हुआ है सभी खातेदार का अन्दाजीया तौर से कब्जा व कास्त है इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि मे अच्छी, बुरी, उपजाउ कम उपजाउ भूमि मे अपने अपने हिस्से अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए यह वाद प्रस्तुत है । अन्त मे वादी ने वादग्रस्त भूमि ग्राम झरीया के खसरा नम्बर 106 रकबा 5 बीघा , खसरा नम्बर 169 रकबा 31 बीघा 15 बीस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 61 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 98 बीघा 7

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

बीस्वा भूमि वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक खसरान की भूमि मे से 1/8 हिस्सा अच्छी, बुरी, उपजाउ, रेतीली समान अनुपात मे बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किये जाने की डिक्री व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा हेतू वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया ।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया । प्रतिवादीगण के समन तामील सुदा प्राप्त हुए । प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी द्वारा वकालत नामा व जबाब दावा पेश किये गये थे । प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि मे जो हिस्से दर्शाए है वह गलत है । जब कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 को उक्त आराजी मे अपने पूर्वज सांवता का वक्त खातेदारी घोषणा के समय 1/3 हिस्सा नामान्तकरण मे दर्ज किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त भूमि मे 2/3 हिस्सा है , नामान्तकरण की प्रतिलिपी जबाब दावे के साथ्ज्ञ सलंग्न है इसी हिस्से अनुसार सह खातेदार एवं वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा कास्त है जो सही है इसके वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का जो हिस्सा दर्शाया है वह गलत है जब कि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है । वादी प्रत्येक खसरान की भूमि मे कोई 1/8 हिस्सा ही नही बनता है तो 1/8 हिस्से की भूमि पर अन्दाजीया तौर पर कास्त करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है और न ही वादी का वादग्रस्त भूमि मे रहवासी ढाणी, टांका बाडा इत्यादि बने हुए है । वादी ने बन्टवारे के लिए अच्छी कीमती बुरी रेतीले धोरो की बात बताई है जो गलत है जब कि उपरोक्त आराजी की पुरी भूमि समतल है उसमे किसी प्रकार की खराब भूमि नही है । वादग्रस्त भूमि मे वादी का कोई 1/8 हिस्सा नही है । वादी ने प्रतिवादीगण को अपने अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाने हेतू कभी भी नही कहा तो प्रतिवादीगण द्वज्ञारा टालमटोल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है । वादी ने दिंनाक 23.6.2016 को प्रतिवादीगण को राजस्व केम्प मे वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए नही कहा और न ही प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी । अन्त मे प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रेकड मे अलम दरामद करवाया जावे तथा साथ मे स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण बर खिलाफ वादी इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण की विभाजित भूमि मे वादी किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और न ही किसी से करावे ।

दावा व जबाब दावा के आधार पर निम्न लिखित तरकीयात कायम किये गये –

तनकी संख्या 1– आया वादग्रस्त भूमि वादी वादग्रस्त भूमि मे अपना 1/8 हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी है ? जुम्मेवादी

तनकी संख्या 2– आया वादी वादग्रस्त भूमि मे अपने 1/8 हिस्से की भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाने का अधिकारी है ? जुम्मेवादी

तनकी संख्या 3– आया वादी अपने हक हिस्से व कब्जे कास्त की भूमि के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? जुम्मेवादी

तनकी संख्या 4– आया प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम के जरीये वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर इसी कदर विभाजन करवाने के अधिकारी है ? जुम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5– आया प्रतिवादीगण वादी के खिलाफ उक्त कदर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ? जुम्मे प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर पोकरण

Scanned with CamScanner

उक्त तनकी संख्या 1 से 3 को साबित करने का भार वादी पर था तथा तनकी संख्या 4 व 5 का भार प्रतिवादीगण पर था । वादी की साक्ष्य मे गवाह पी.डब्ल्यू –1 मुल्तानाराम व खेताराम व मगनाराम ,सुगनाराम, रूपाराम लालाराम, शपथ पत्र पेश हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श– पी –1 से 6 प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की तरफ से डी.डब्ल्यू –1 बिडदाराम , डी.डब्ल्यू–2 रामसुखराम, डी.डब्ल्यू–3 चूनाराम, के शपथ पत्र व बयान करवाए गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे डी –1 से 9 प्रदर्शित करवाये गये।

वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । हमारा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है –

तनकी संख्या 1– आया वादग्रस्त भूमि वादी वादग्रस्त भूमि मे अपना 1/8 हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था । वादी ने अपनी जिरह मे यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि हमारे नाम होने से पहले भवंरलाल पुत्र हस्तीमल महाजन के नाम की खातेदारी की थी तथा कब्जा कास्त पन्नाराम वल्द भेरा व सांवता पुत्र लिछमण का था तथा यह भी स्वीकार किया हमारे कब्जे कास्त के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार ने धारा 19 राज.कास्तकारी अधि. के तहत हमको खातेदारी दी थी जिसका नामान्तकरण संख्या 152 पन्ना व सांवता के नाम दर्ज हुआ था । नामान्तकरण प्रदर्ष – डी –1 पन्ना वल्द भेरा 2/3 हिस्सा व सांवता पुत्र लिछमण का 1/3 हिस्सा दर्ज है आगे यह भी कहा है कि उक्त नामान्तकरण की मेरे पिता व मेने कोई अपील नही की है । सांवताराम के चार पुत्र है । यह वाद मेने अकेले ने किया है । यह बात सही है कि प्रतिवादी संख्या 5 से 7 मेरे तीनो भाईयो ने अपने जबाब दावे मे हमारे पिता का 1/3 हिस्सा होना बताया है । गिरदावरीयो मे सांवता का 1/3 हिस्सा के बारे मे कोई जानकारी नही है । वादी के गवाह पी.डब्ल्यू–2 खेताराम ने अपनी जिरह मे यह कहा कि मुझे पता नही शुरू से राजस्व रेकर्ड मे पन्ना का 2/3 है और सांवता का 1/3 हिस्सा हो । पी.डब्ल्यू 3– लालाराम ने अपनी जिरह मे यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि मे से 2/3 हिस्सा पन्ना व 1/3 सांवता के बोते है । इस प्रकार से वादी की दस्तावेजी साक्ष्य मे भी वादी के पिता का 1/3 हिस्सा होना दर्ज नही है जब कि पक्षकारो के खातेदारी अधिकार के प्रथम दस्तावेज प्रदर्श डी –1 के अनुसार प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 के पिता सांवता का 1/3 हिस्सा होना दर्ज है। इस प्रकार से वादी मोखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने जिम्मे की इस तनकी को साबित नही कर पाया है इसलिए यह तनकी वादी के खिलाफ तय की जाती है ।

तनकी संख्या 2– आया वादी वादग्रस्त भूमि मे अपने 1/8 हिस्से की भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाने का अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था चूकि तनकी संख्या 1 वादी के खिलाफ तय की जा चुकी है इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि मे 1/8 हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाने का कतई अधिकारी नही है इसलिए यह तनकी वादी के खिलाफ साबित है।

तनकी संख्या 3– आया वादी अपने हक हिस्से व कब्जे कास्त की भूमि के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

चूकि तनकी संख्या 1 व 2 वादी के खिलाफ तय की जा चुकी है इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है इसलिए यह तनकी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4– आया प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम के जरीये वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर इसी कदर विभाजन करवाने के अधिकारी है?

सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण के गवाह डी. डब्ल्यू –1 बिडदाराम, डी.डब्ल्यू –2 रामसुख, डी.डब्ल्यू– 3 चूनाराम ने अपने शपथ पत्र मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्सा होने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा होना स्पष्ट कहा है तथा तीनो गवाहान जिरह मे भी विचलित नही हुए है तथा प्रतिवादी की दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–डी. –1 से 9 मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा दर्ज है इसके अलावा वादी के सगे भाई डी.डब्ल्यू 2 रामसुख व डी डब्ल्यू –3 चुनीलाल ने भी यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि मे हमारे पिता सांवता का 1/3 हिस्सा था तथा प्रतिवादीगण संख्या 2/3 हिस्सा है इसी कदर हमारा कब्जा व काश्त है इस प्रकार से मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादीगण ने इस तनकी को अपने पक्ष मे बखुबी साबित की है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे व वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 5– आया प्रतिवादीगण वादी के खिलाफ उक्त कदर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । चूकि तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे व वादी के खिलाफ तय की जा चुकी है इसलिए उक्त साक्ष्य को पुनः नही दोहराते हुए यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष मे व वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

उक्त प्रकार से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का विवेचन व विश्लेषण करते हुए तनकीवार हमारा निष्कर्ष है कि वादीगण अपने जुमे की तनकी संख्या 1 व 3 को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित व साबित नही किया है तथा प्रतिवादीगण ने अपने जुमे की तनकी संख्या 4 व 5 को साबित व प्रमाणित कर पाये है इसलिए वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर ग्राम झरीया के खसरा नम्बर 106 रकबा 5 बीघा , खसरा नम्बर 169 रकबा 31 बीघा 15 बीस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 61 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 98 बीघा 7 बीस्वा भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्डस से राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार औसिया से बन्टवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिये जाते है तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के 2/3 हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखल नही करे, प्रतिवादीगण को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे ,तहसीलदार औसिया से बन्टवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहरीर जारी की जावे ।

सहायक कलक्टर, औसिया

निर्णय आज दिंनाक 12/3/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी–1)

अज अदालत –सहायक कलेक्टर औसिया ।

बइजलास –रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मुल्तानराम पुत्र श्री सांवताराम जाति विश्नोई निवासी एकलखोरी तहसील औसिया जिला जोधपुर ।		1 बिडदाराम पुत्र श्री पन्नाराम 2 बिरबलराम पुत्र श्री पन्नाराम 3 बलवन्ताराम पुत्र श्री पन्नाराम 4 रामनिवास पुत्र श्री लाखाराम 5 संग्राम पुत्र श्री सांताराम 6 रामसुख पुत्र श्री सांवताराम 7 चूनाराम पुत्र श्री सांवताराम जाति विश्नोई निवासी एकलखोरी तहसील औसिया जिला जोधपुर । 8 श्री तहसीलदार औसिया ।

मुकदमा नम्बर 70/2016

यह मुकदमाआज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकार बहाजरी श्री पेंपसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम झरीया के खसरा नम्बर 106 रकबा 5 बीघा , खसरा नम्बर 169 रकबा 31 बीघा 15 बीस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 61 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 98 बीघा 7 बीस्वा भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 से 7 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्डस से राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार औसिया से बन्टवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिये जाते है तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण के हिस्से की विभाजित भूमि मे वादी किसी प्रकार की दखल नही करे, प्रतिवादीगण को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है सम्बन्धित तहसीलदार को तहरीर जारी की जाकर लिखा जावे कि राजस्थान काष्तकारी नियम 18 से 21 की पालना की जाकर शीघ्र बन्टवारा प्रस्ताव पेश करे । प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है । मुवलिग.....बाबत .....खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह .....फिसदी सालानाआज की तारीख वसूलयागी तक ....को अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिंनाक 12/13/22 को जारी की गई ।

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
मौका कमिश्नर			बाबत इजराह हुक्मनामा		
जनाब इजराह हुक्मनामा			मुद्दफरीक		
अन्य					
योग			योग		

नोट पर्चा खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर औसिया

Scanned with CamScanner